संख्या-20 /2015 /1545/33-3-2015-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1172/2015-5/99/2015 दिनांक 27मई, 2015 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2015-16 उक्त योजना के लिए प्रावधानित रू0 15000.00 लाख में से रू0 5360.00 लाख (रू0 तिरपन करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा । इतर वयय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2015-16 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ठिान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू0 9.983 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के

nrega.upgrasp.gov.in

"लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिव विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी द्वारा कार्ययोजना के अनुसार अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल मांग	वर्ष में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायबरेली	26	620	0	620	577.375	42.625	620	1.155	8.661	0.577	0.577	0.577	10.392	11.547	565.828
2	सन्तकबीर नगर	11	220	0	220	204.875	15.125	220	0.41	3.074	0.205	0.205	0.205	3.689	4.099	200.776
3	बरेली	5	110	0	110	102.4375	7.5625	110	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.843	2.048	100.39
4	पीलीभीत	3	80	0	80	74.5	5.5	80	0.149	1.118	0.075	0.075	0.075	1.343	1.492	73.008
5	प्रतापगढ़	10	200	0	200	186.25	13.75	200	0.373	2.794	0.186	0.186	0.186	3.352	3.725	182.525
6	अमेठी	9	200	0	200	186.25	13.75	200	0.373	2.794	0.186	0.186	0.186	3.352	3.725	182.525

http://shasanadesh.up.nic.in

7	बलरामपुर	3	60	0	60	55.875	4.125	60	0.112	0.839	0.056	0.056	0.056	1.007	1.119	54.756
8	कन्नौज	2	40	0	40	37.25	2.75	40	0.075	0.559	0.037	0.037	0.037	0.67	0.745	36.505
9	आगरा	8	180	0	180	167.625	12.375	180	0.335	2.515	0.168	0.168	0.168	3.019	3.354	164.271
10	फिरोजाबाद	2	50	0	50	46.5625	3.4375	50	0.093	0.698	0.047	0.047	0.047	0.839	0.932	45.6305
11	अलीगढ़	11	300	0	300	279.375	20.625	300	0.559	4.191	0.279	0.279	0.279	5.028	5.587	273.788
12	झाँसी	14	350	0	350	325.9375	24.063	350	0.652	4.889	0.326	0.326	0.326	5.867	6.519	319.419
13	जालौन	7	150	0	150	139.6875	10.313	150	0.279	2.096	0.14	0.14	0.14	2.516	2.795	136.893
14	बागपत	1	20	0	20	18.625	1.375	20	0.037	0.28	0.019	0.019	0.019	0.337	0.374	18.251
15	मुजफ्फर नगर	1	20	0	20	18.625	1.375	20	0.037	0.28	0.019	0.019	0.019	0.337	0.374	18.251
16	शामली	3	80	0	80	74.5	5.5	80	0.149	1.118	0.075	0.075	0.075	1.343	1.492	73.008
17	बस्ती	8	170	0	170	158.3125	11.688	170	0.317	2.375	0.158	0.158	0.158	2.849	3.166	155.147
18	कानपुर देहात	9	200	0	200	186.25	13.75	200	0.373	2.794	0.186	0.186	0.186	3.352	3.725	182.525
19	इलाहाबाद	2	40	0	40	37.25	2.75	40	0.075	0.559	0.037	0.037	0.037	0.67	0.745	36.505
20	मथुरा	7	200	0	200	186.25	13.75	200	0.373	2.794	0.186	0.186	0.186	3.352	3.725	182.525
21	गौतमबुद्ध नगर	2	60	0	60	55.875	4.125	60	0.112	0.839	0.056	0.056	0.056	1.007	1.119	54.756
22	बदायूँ	2	50	0	50	46.5625	3.4375	50	0.093	0.698	0.047	0.047	0.047	0.839	0.932	45.6305
23	शाहजहांपुर	9	180	0	180	167.625	12.375	180	0.335	2.515	0.168	0.168	0.168	3.019	3.354	164.271
24	सिद्धार्थ नगर	4	80	0	80	74.5	5.5	80	0.149	1.118	0.075	0.075	0.075	1.343	1.492	73.008
25	बाराबंकी	21	490	0	490	456.3125	33.688	490	0.913	6.845	0.456	0.456	0.456	8.213	9.126	447.187
26	गोरखपुर	12	290	0	290	270.0625	19.938	290	0.54	4.051	0.27	0.27	0.27	4.861	5.401	264.662

http://shasanadesh.up.nic.in

27	फैजाबाद	14	300	0	300	279.375	20.625	300	0.558	4.182	0.279	0.279	0.279	5.019	5.577	273.798
28	सहारनपुर	17	410	0	410	381.8125	28.188	410	0.761	5.727	0.382	0.382	0.382	6.873	7.634	374.179
29	भदोहॉं	10	210	0	210	195.5625	14.438	210	0.391	2.933	0.195	0.195	0.195	3.518	3.909	191.654
	योग-	233	5360	0	5360	4991.5	368.5	5360	9.983	74.873	4.992	4.992	4.992	89.849	99.832	4891.67
											(रुपया तिरपन करोड़ साठ लाख मात्र)					

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in